राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2359/2025

श्याम कुमार सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन पशु पोषहार संस्थान, जयपुर से उप केन्द्र, भरतियों की ढाणी, चूरू में किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश की पालना में नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समयोजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की माता वृद्ध है, जो बीमारियों से ग्रसित है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, जिसका स्थानान्तरण 300 किमी. दूर किया गया है।

3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने चूंकि स्थानान्तरण आदेश की पालना में कार्यग्रहण कर लिया है। ऐसे में अब स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। अपीलार्थी ने जो आधार इस अपील में उठाये हैं, उन आधारों पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये सदैव स्वतंत्र रहेगा। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)